COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(368)

1 नवीन पु० - 4402/2016

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी R 4402 I-16

906

श्री पिता द्वीवास्तव ए. द्वारा आज दि. 30-12-016 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 30/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. देवी सिंह पुत्र आनंद सिंह राजपूत
2. गजराज सिंह पुत्र आनंद सिंह राजपूत

समस्त निवासीगण ग्राम मूडराघाट तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

........... आवेदकगण

बनाम

1. वीर सिंह पुत्र श्री उधम सिंह राजपूत
2. झुन्नीलाल पुत्र श्री उधम सिंह राजपूत
3. गोराबाई विधवा उधम सिंह राजपूत

समस्त निवासीगण ग्राम मूंडराघाट तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.......अनावेदकगण

4. हल्कीबाई पुत्री आनंद सिंह राजपूत निवासी ग्राम मूंडराघाट तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
5. भीम सिंह पुत्र निरपत सिंह राजपूत
6. राजाराम पुत्र श्री निरपत सिंह राजपूत
7. बालाराम पुत्र श्री निरपत सिंह राजपूत
8. नवल सिंह पुत्र श्री निरपत सिंह राजपूत
9. करन सिंह पुत्र श्री निरपत सिंह राजपूत

समस्त निवासीगण – ग्राम मूंडराघाट तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

10. रामप्यारीबाई पुत्री निरपत सिंह पत्नी कप्तान सिंह राजपूत , निवासी ग्राम हाजूखेडी तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

11. सुनीताबाई बेवा भगवान सिंह राजपूत निवासी ग्राम मूंडराघाट तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

........ **प्रोफार्मा पक्षकार**

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अपील/ 2014–15 ( वीर सिंह बनाम देवी सिंह आदि ) में पारित आदेश दिनका 20.12.2016 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।**

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरण पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 18.03.2014 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई साथ में आवेदन पत्र धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मूंडराघाट तहसील सिरोंज में स्थित भूमि क्रमांक 126 रकवा 0.038 लगान 0.65 पैसा , सर्वे नं. 213 रकवा 1.644 हे. लगान 5.66 पैसा , सर्वे नं. 214 रमकवा 0.215 हे. लगान 0.75 पैसा , सर्वे नं. 215 रकवा 1.846 हे. लगान 6.35 पैसा , सर्वे नं. 216 रकवा 3.500 हे. लगान 12.15 पैसा , सर्वे नं. 233

XXIX(a)-BR(H)-11

368

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-4402-एक/16 **जिला** - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |